JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

घरेलू उद्योग में बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थितिः अलीगढ के ताला उद्योग के सन्दर्भ में

ब्रजेश कुमारी और प्रो0 शान्ती स्वरूप
शोधार्थी और शोध निर्देशक
समाजशास्त्र विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0)

शोध–सार :
बाल–श्रम भारत की अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है यह एक सामाजिक बुराई है। यह बच्चों के विकास में बाधा पहुँचाती है। बच्चे एक अच्छे नागरिक के रूप में सामाजिक विकास में अपना समुचित योगदान नही दे पाते हैं। आर्थिक कारणों से परेशान होकर माता–पिता अपने बच्चों को उद्योगों जैसे ताला उद्योग, घरेलू उद्योग, काँच उद्योग, ढाबों, होटलों, कृषि क्षेत्र, खानों आदि में नौकरी के रूप में काम पर भेजते हैं। 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है जैसे साँस, त्वचा रोग, आँखों में जलन तथा कुपोषण आदि इसी कारण से ये बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इनका भविष्य खराब हो जाता है। ये शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो जाते है इनको समाज में भी कोई सम्मान नहीं मिल पाता है। इस शोध पत्र में हमने अलीगढ़ के घरेलू ताला उद्योग में कार्यरत बालश्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिती के बारे में पता लगाने का प्रयास किया।

मुख्य शब्द : बालश्रम, ताला उद्योग, सामाजिक आर्थिक स्थिति।

परिचय : बाल श्रम हमारे देश में समस्या का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हैं। कच्चे माल और बिजली की आपूर्ति की आसान उपलब्धता के कारण इसे भारत में तालों के उघोग के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ शहर एक बहुत ही अच्छे व्यापार के रूप में उभर कर सामने आया है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किये जाते हैं। 1890 में स्थानीय उधमियों ने यहॉ एक छोटे पैमाने पर तालों का उत्पादन शुरू किया। आज शहर में पीतल, कांस्य, लोहा और एल्यूमीनियम उद्योगों से जुड़े हजारों निर्माता, निर्यातक और आपूर्तीकर्ता शामिल हैं। ताला बनाने की अलग–अलग प्रक्रियाएँ अलग–अलग इकाईयों में की जाती हैं लेकिन जब अंग्रेज आये तो उन्होंने इसे एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि में बदल दिया। 1870 में इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने अलीगढ़ में बिक्री के लिये इंग्लैंड से ताले आयात करने के लिये एक फर्म जॉनसन एण्ड कम्पनी की स्थापना की। अलीगढ़ के ताले पूरे भारत में बेचे जाते हैं यह मुगलों के समय से ही एक गढ़ रहा है। भारत में ताला उद्योग के इतिहास की जड़े अलीगढ़ में है। जब ताले का कार्य शुरू हुआ था तो तालों को हाथ के द्वारा बनाया जाता था। अलीगढ़ में तालों का कार्य मुगल काल से चला आ रहा है। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बिट्रिश ने सरकार ने 1926 में कारीगरों को ताला बनाने का प्रशिक्षण देने के लिये यहॉ एक धातु कार्यशाला की स्थापना की। (वाड्रा 2020)

बाल श्रमिक अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए नियमित रूप से काम करने को विवश हैं। वे लंबे समय तक काम करते हैं और कम मजदूरी का भुगतान पाते हैं। अलीगढ़ शहर के अनौपचारिक क्षेत्र में जैसे, घरेलू मजदूर, होटल व ढाबों, ताला मजदूर, भीख माँगना, कूड़ा बीनना, छोटा खुदरा व्यापारी और निर्माण कार्य में लगे मजदूर आदि के रूप में काम करने वाले बालश्रमिक हैं। इसमें कम कमाई, असुरक्षित काम और अनियमित रोजगार करने की स्थिति और बाल श्रमिक शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं। वे ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, जिनमें उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। उनके पास रोजगार जैसे कोई विकल्प नही हैं।

लाखों बच्चे भारत जैसे विकाशील देशों में काम करने को मजबूर हैं। ये बच्चे अपने अधिकारों व उनसे जुड़ी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। वे अपने अधिकारों के लिये भी नहीं लड़ सकते है। इस अध्ययन में अलीगढ़ शहर में अनौपचारिक क्षेत्र में बालश्रमिकों की भागीदारी से जुड़ी सामाजिक समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया। (परवीन शबनम 2015).

अलीगढ़ में बाल श्रम की सामाजिक स्थितियों की जॉच करना है। वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ मजदूरी के काम को कैसे जोड़ते हैं ज्यादातर अकुशल, अर्ध कुशल और निरक्षर बाल श्रमिक हैं जिनका वे कई तरह से शोषण करते हैं।

अलीगढ में प्रसिद्ध ताला उद्योग, जिसमें 6400 से अधिक पंजीकृत और 3000 से अधिक घरेलू इकाइँया शामिल हैं जिसमें 2 लाख बालश्रमिकों को रोजगार देता है। उद्योग के सदस्यों के अनुसार ताले का लगभग 80 प्रतिशत कार्य अलीगढ़ में ही होता है इसके तालों का निर्यात देश–विदेश में भी तेजी से किया जाता है। ये पीतल के ताले ट्रिपल लॉकिंग ताले के साथ हस्तनिर्मित है। इतिहास में अलीगढ़ के बने तालों का उल्लेख मिलता है जैसे पहेली ताले, अलग–अलग चाबियों बाले ताले, हथकड़ी के ताले अलीगढ़ में निर्मित ताले पूरे देश में प्रसिद्ध हैं पैड लॉक, डोर लॉक, मल्टी लॉक, साइकिल लॉक जिले में बहुउद्देशीय ताले आदि का उत्पादन होता है। (वाड्रा 2020)

अध्ययन का उददेश्य : घरेलू ताला उद्योग में बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. गरीबी एवं अशिक्षा के कारण माता पिता अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने में असमर्थ होते हैं। तथा अच्छे आचरण भी नही दे पाते हैं। इन्हीं कारणों से वे सामाजिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
2. बालक के जीवन पर परिवार का अधिक प्रभाव पड़ता है जैसे माता–पिता का तलाक, घर में क्लेश, परिवार का टूटना माता पिता में से किसी एक की मृत्यु का होना, या जेल में होना आदि। इन सभी कारणों से बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।

अध्ययन का महत्व : बच्चों को देश का भावी भविष्य व आने वाले कल की तस्वीर कहा जाता है। सरकार ने भी बच्चों को राष्ट्र की महत्वपूर्ण सम्पत्ति स्वीकार किया है। लेकिन देखा जाये तो कल की उज्जवल भविष्य का वर्तमान अपना पेट पालने के लिये इस कदर उलझा हुआ है, कि उसके सारे अधिकार बेइमान साबित हो रहे हैं। आने वाले कल के कर्णधारों का एक बहुत बढ़ा हिस्सा भूख, कुपोषित, अशिक्षित, शोषित और अधिकारों से वंचित और उत्पीड़ित है। बचपन बचाओ और बाल अधिकार महज नारा बनकर रह गये हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पढ़ रहा है। बाल मजदूरों के प्रमुख समस्याओं के निदान के लिये उसके अनुरूप कार्यक्रम बनाकर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जिससे घरेलू ताला उद्योग में बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थित में सुधार हो सकता है।

अध्ययन की सीमायें : शोध अध्ययन के लिए अलीगढ़ शहर के अलग अलग स्थान या क्षेत्रों से 100 बाल श्रमिकों का चयन किया है। जिसमें 50 बालक व 50 बालिकाओं को शामिल किया हैं।

पूर्व साहित्य की समीक्षा : किसी भी अनुसंधान के अंतर्गत विश्लेषण के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस पर अभी तक कितना शोध कार्य हो चुका है। अख्तर नाहिद 2001 ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री में कुशल श्रमिकों के बीच जाँच करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। अध्ययन में सामाजिक एंव मनोवैज्ञानिक बाधायें शब्द मात्र उत्तरादाताओं की धारणाओं तक ही सीमित है। लस्कर बहरूल इस्लाम 2000 ने कहा कि अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री में बाल श्रमिकों पर किये गये अध्ययनों से पता चला कि बालश्रमिकों की घरेलू आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसकी वजह से बालश्रमिक खतरनाक कामों में कार्य करने पर मजबूर हो जाते है जिसके कारण उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य सम्भावनाओ के लिये हानिकारक साबित होता है। परवीन शबनम 2015 ने अपने अध्ययन में बताया कि अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री में बालश्रम बड़ी संख्या में उपलब्ध है जिसकी वजह असंगठित क्षेत्रों में बालश्रमिक अधिक असुरक्षित व पिछड़े हुए है जिसके कारण शारीरिक, सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक स्थिति अधिक दयनीय है। जब व्यापार सर्वेक्षण किया तो इसमें 1000 बालश्रमिकों को लिया गया। इससे पता चल रहा है कि बालश्रम कई समस्याओं का सामना कर रहा है। जिसमें कम मजदूरी 10 से 12 घंटे कार्य, गाली–गलौच, मारपीट आदि प्रमुख समस्या देखी गयी है। वाड्रा 2020ने अपने अध्ययन में बताया कि अलीगढ़ शहर के ताला उद्योग की कमी की समस्या और सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया। इसका उददेश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी उत्पाद डिजायन के लिए वितरण चैनल और बाजार स्थापित करना और उद्योगों में तेजी लाने का तरीका और इसके सुरक्षा मुल्यों को उजागर करने वाले ताले डिजायन करना है। इससे यह बंद होने से भी बच जायेगा। जब उद्योग में विकास और लाभ होता है तब भी कुछ बिन्दु ऐसे होते है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। खासतौर पर पिछले कुछ वर्षो से हार्डवेयर उद्योग में संकट चल रहा है। और इसका कारण अवैध रूप से डिजायनों की नकल करना और बिना हिल्स वाली चीजें बेचना है। सिंह एट. अल. 2019ने अपने शोध में बताया कि भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 100 मिलियन से अधिक बच्चे अमानवीय परिस्थितियों में उद्योगों और विभिन्न व्यवसाओं में काम कर रहे हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ शहर के उद्योगों के ताला कारखानों में कार्यरत बच्चों पर एक अध्ययन किया है। इससे पता चला कि गरीब माता पिता जीवन को बनाये रखने के लिये अपने बच्चों को खतरनाक नौकरियों में भेजने को मजबूर है। नियोक्ता कम वेतन और अपनी ताला निर्माण इकाइयों को बनाये रखने के लिये समस्या मुक्त प्रबन्धन के कारण उन्हें पसन्द करते है। और सरकार उनकी समस्याओं के प्रति असहाय और उदासीन है।

शोध विधि : इस शोध अध्ययन का क्षेत्र अलीगढ़ जिला के ताला नगरी, ऊपरकोट, सासनी गेट और रेलवे रोड़ को शामिल किया गया है। प्रत्येक शोध क्षेत्र से 25–25 बाल श्रमिकों को दैव निदर्शन विधि के रूप से चयनित किया गया। कुल बाल श्रमिकों की संख्या 100 थी। प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक स्त्रोत से सूचनाऐं संकलित की। उददेश्य से सम्बन्धित अनुसूची तैयार की गयी तथा आंकड़ों का सकंलन किया। इसके बाद सारणी तैयार की और निष्कर्ष निकाला।

आंकड़ों का सारणीयन एंव विश्लेषण

सारणी : 1 घरेलू ताला उद्योग में बाल श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति

आयु	बालक		बालिका	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
5–6	06	12	04	08
7–8	09	18	11	22
9–10	15	30	10	20
11–14	20	40	25	50
शिक्षा की स्थिति				
अनपढ़	24	48	26	52
प्राइमरी	14	28	15	30
मिडिल	07	14	06	12
हाईस्कूल	05	10	03	06
जाति समुदाय				
सामान्य जाति	05	10	03	06
पिछड़ी जाति	18	36	16	32
अनुसूचित जाति	12	24	14	28
अनुसूचित जनजाति	15	30	17	34
परिवार के प्रकार				
एकल	36	72	33	66
संयुक्त	14	28	17	34
परिवार के आकार				
2 से 4 सदस्य	22	44	17	34
5 या इससे अधिक सदस्य	28	56	33	66

सारणी : 1 से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत बालक व 50 प्रतिशत बालिकायें 11–14 आयु वर्ग के थे । बड़े परिवारों एंव गरीबी के कारण निम्न आय वर्ग के माता पिता स्वंय की आय के श्रोत द्वारा परिवार का भरण पोषण करने में असर्मथ होते हैं। इस कारण बच्चे 5 से 6 वर्ष की आयु में ही इस कुप्रथा का शिकार हो जाते हैं। इतने कम आयु में ही ये बच्चे बाल श्रमिक बन गये हैं जबकी यह अवस्था उनके खेलने कूदने की है। बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अहम भूमिका शिक्षा की होती है। शिक्षा की स्थिति में 48 प्रतिशत बालक 52 प्रतिशत बालिका अनपढ थी। जबकी 28 प्रतिशत बालक और 30 प्रतिशत बालिका प्राइमरी में थी 14 प्रतिशत बालक व 12 प्रतिशत बालिका मिडिल क्लास के थे। 10 प्रतिशत बालक और 06 प्रतिशत बालिकाओं ने हाई स्कूल तक की ही शिक्षा ग्रहण की। ग्रामीण समाज में खासकर अनपढ़ समुदाय में रूढ़िवादिता है। जहॉ बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 36 प्रतिशत बालक और 32 प्रतिशत बालिका पिछड़ी जाति केथे जबकि 24 प्रतिशत बालक तथा 28 प्रतिशत बालिका अनुसूचित जाति के थे जबकि 30 प्रतिशत बालक व 34 प्रतिशत बालिका अनुसूचित जनजाति के थे। 72 प्रतिशत बालक एक परिवार के रहने वाले 66 प्रतिशत बालिका थी । जबकि 28 प्रतिशत बालक और 34 प्रतिशत बालिका संयुक्त परिवार में रहने वाली थी संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में अधिक कठिनाई नहीं होती जितनी एकल परिवार में होती है। 56 प्रतिशत बालक तथा 66 प्रतिशत बालिका के परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से अधिक थी। जबकि 44 प्रतिशत बालक तथा 34 प्रतिशत बालिका के परिवार में सदस्यों की संख्या 2 से 4 थी। परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या तथा गरीबी के कारण मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती है जिससे परिवार का गुजारा हो सके।

सारणी : 2 घरेलू ताला उद्योग में बाल श्रमिकों की सामाजिक स्थिति

घर	बालक		बालिका	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पक्का मकान	14	28	10	20
कच्चा मकान	36	72	40	80
पड़ोस में साफ सफाई				
उत्तम	10	20	12	24
अति निम्न	25	50	24	48
निम्न	15	30	14	28
माता – पिता के साथ समय				
थोड़ा	12	24	11	22
बहुत	08	16	10	20
बिल्कुल नहीं	30	60	29	58
काम करने की प्रेरणा				
पड़ोस	10	20	18	36
परिवार	28	56	22	44
अन्य	12	24	10	20
परिवार का प्रभाव				
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि	06	12	07	14
पारिवारिक आय में वृद्धि	44	88	43	86

उपरोक्त सारणी : 2 से ज्ञात है कि 28 प्रतिशत बालक और 20 प्रतिशत बालिका पक्के मकान में रहते थे जबकि 72 प्रतिशत बालक 80 प्रतिशत बालिका कच्चे मकान में रहते थे। 20 प्रतिशत बालक और 24 प्रतिशत बालिका उत्तम साफ–सफाई में रहते थे जबकि 50 प्रतिशत बालक और 48 प्रतिशत बालिका अति निम्न साफ सफाई में रहते थे। तथा 30 प्रतिशत बालक और 28 प्रतिशत बालिका निम्न स्तर पर पड़ोस में साफ–सफाई में रहते थे। बालक तथा बालिकाओं का कहना था कि उनके माता–पिता काम करने के कारण थोड़ा ही समय दे पाते है। जबकि 60 प्रतिशत बालक और 58 प्रतिशत बालिकाओं ने बताया कि माता–पिता बिल्कुल ही उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते थे। 20 प्रतिशत बालक और 36 प्रतिशत बालिका ने कहा कि पड़ोस से काम की प्रेरणा लेकर कर रहें थे। जबकि 56 प्रतिशत बालक और 44 प्रतिशत बालिकाऐं परिवार की प्रेरणा से कर रहे थे। और 24 प्रतिशत बालक और 20 प्रतिशत बालिकाओं का मानना था कि वे अन्य कारणों से काम कर रहें हैं। जबकि 12 प्रतिशत बालक 14 प्रतिशत बालिकाओं ने कहा कि उद्योग में काम करने से उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्वि हुई है। जबकि 88 प्रतिशत बालक और 86 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उनके उद्योग में काम करने से उनकी पारिवारिक आय में वृद्वि हुयी है।

सारणी : 3 घरेलू ताला उद्योग में बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति

पेशा	बालक		बालिका	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ताला बनाने का काम करने वाले	05	10	02	04
चाबी बनाने का काम	20	40	23	46
ताले के ढक्कन का काम	04	08	14	28
अन्य	21	42	11	22
कार्य करने का समय				
3 – 5	12	24	10	20
6 – 8	24	48	27	54
8 – 10	14	28	13	26
परिवार की आय के साधन				
नौकरी	07	14	08	16
व्यापार	02	04	03	06
मजदूरी	32	64	31	62
छुकानदारी	09	18	08	16
मासिक आय				
3000 रू से कम	28	56	27	54
3001 से 7000 तक	11	22	14	28
7001 से 8000 तक	08	16	05	10
8000 से अधिक	03	06	04	08
मजदूरी का आधार				
प्रतिदिन	22	44	26	52
सप्ताहिक	05	10	03	06
महीना	11	22	10	20
मालिक की इच्छा से	12	24	11	22

उपरोक्त सारणी 3 से ज्ञात होता है कि ताले बनाने का काम करने वाले 10 प्रतिशत बालक व 04 प्रतिशत बालिकाऐं थी जबकि चाबी बनाने का काम 40 प्रतिशत बालक व 46 प्रतिशत बालिकायें करती थी। ताले के ढक्कन का काम करने वाले 08 प्रतिशत बालक व 28 प्रतिशत बालिकायें थीं जिसमें अन्य में 42 प्रतिशत बालक व 22 प्रतिशत बालिकायें ताले का कार्य करते थे जिनके कार्य करने का समय 3–5 साल से 24 प्रतिशत बालक व 20 प्रतिशत बालिकायें थी जिसमें 6–8 साल के काम करने वाले 48 प्रतिशत बालक व 54 प्रतिशत बालिका जबकी 8–10 साल काम करने वाले 28 प्रतिशत बालक व 26 प्रतिशत बालिका है जबकि 14 प्रतिशत पिता और 16 प्रतिशत माताऐं नौकरी करती थी जबकि 04 प्रतिशत पिता और 06 प्रतिशत माताऐं व्यापार में संलग्न थी जबकि 64 प्रतिशत पिता और 62 प्रतिशत माताऐं मजदूरी करती थी जिसमें 18 प्रतिशत पिता और 16 प्रतिशत माताऐं दुकान पर कार्य करती थी। 22 प्रतिशत बालक और 28 प्रतिशत बालिकाओं के परिवार की मासिक आय 3001 रूपये से 7000 रू तक थी जबकि 06 प्रतिशत बालक और 08 प्रतिशत बालिकाओं के परिवार की आय 8000 रू से अधिक है। परिवार की कम मासिक आय बाल मजदूरी होने का बहुत बड़ा कारण है। निम्न आर्थिक स्थिती के कारण इनकी स्वास्थ्य समबन्धी स्थिति दयनीय है। जो कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। 44 प्रतिशत बालक व 52 प्रतिशत बालिकाओं को मजदूरी प्रतिदिन मिलती थी जबकी 10 प्रतिशत बालक और 06 प्रतिशत बालिकाओं को मजदूरी सप्ताहिक और 22 प्रतिशत बालक 20 प्रतिशत बालिकाओं को मजदूरी महीने में एक बार मिलती थी। 24 प्रतिशत बालक और 22 प्रतिशत बालिकाओं को मजदूरी उनके मालिक की इच्छा से मिलती थी।

निष्कर्ष : आज भी भारत में अधिकतर मजदूरों के परिवार में पारिवारिक तनाव रहता है इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण समाज में चल रही योजनाओं की भी जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से इनका शोषण किया जाता है। लापरवाही तथा नशे की आदत की वजह से कुछ माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय परिवार की आय बढ़ाने के लालच में बाल मजदूरी करने भेज देते हैं। जिसमें बालक एंव बालिका दोंनों ही शामिल है। गरीबी के कारण समाज में अशिक्षित बालक एंव बालिकाऐं हैं। जो कि बाल मजदूरी का मुख्य कारण है। इसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है अगर सही समय पर शिक्षा दी जाये तो घरेलू ताला उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिती में सुधार हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. डॉ वीरेन्द्र सिंह यादव बालश्रम उन्मूलन की चुनौतियॉ एवं समाधान की दिशाऐं।
2. लस्कर इस्लाम बहरूल (2000) चाइल्ड लेबर इन लॉक इंडस्ट्री अलीगढ़ इकॉनोमिक्स एंड पोलिटिक्स वीकली, वॉल्यूम 35(7), पेज 510–513.
3. डॉ0 रेखा (2011), कालीन उद्योग में बाल श्रमिक, कला प्रकाशन, वाराणसी।
4. अख्तर नाहिद (2001) साइओ साइकोलोजीकल कंस्टेन्र्ट देयर इनपेक्ट आन प्रोडक्टिविटी एंण्ड लेवर मैनेजमेंट रिलेशन्स ए स्टडी ऑफ अलीगढ लॉक इन्डस्ट्री, ए.एम.यू. अलीगढ़।
5. प्रवीन शबनम (2015), "चाइल्ड लेबर इन अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसप्लनरी स्टडीज (आईजेआईएमएस) वॉल्यूम 2, आईएसएसएन, 2348–0343, नंबर 10, पेज 59–66.
6. गुप्ता एस, (1998), चाइल्ड वर्क्स इन द फैक्ट्रीज ऑफ शिवकाशी, आत्माराम एंड संस, दिल्ली।
7. सिंह आभा लक्ष्मी, सज्जाद हारून औरअसगर सरफराज (2019), "चाइल्ड लेबर इल लॉक फैक्ट्रीस ऑफ अलीगढ सिटी इंडिया" द इंडियन ज्योग्राफिकल जनरल, वॉल्यूम 81 (2), पेज नम्बर 107–116.
8. वाड्रा रत्ना (2020), "प्रॉस्पेक्टस एंड चैलेंज ए केस ऑफ अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री" इन जनरल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, वॉल्यूम 8, इश्यू 12, पेज 81–86.
9. कुमारी कल्पना और डॉ0 डे सीमा (2021), "बाल श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन रॉची जिला के संदर्भ में" इंटरनेशनल जनरल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, वाल्यूम 7 (1), पेज 247–252.
10. डॉ0 रितु कुमारी (2014), कृषि मजदूरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
इंटरनेट, समाचार पत्र, वेबसाइट आदि।